रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3047] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2018/श्रावण 12, 1940
No. 3047] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

का.आ. 3840(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वीप संरक्षण जोन अधिसूचना, 2011 कहा गया है) द्वारा मध्य अंदमान, उत्तरी अंदमान, दक्षिणी अंदमान और बृहत्तर निकोबार के कतिपय तटीय खंडों तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूह के कतिपय क्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय समुद्र सीमा तक उनके जल क्षेत्र को द्वीप संरक्षण क्षेत्र घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विस्तार, उनके प्रचालन और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे ;

और, केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना के अधीन जारी निर्बंधन की विधिमान्यता के विस्तृत कार्योत्तर निर्बंधन के समार्थ्यकारी उपबंध को सम्मिलित करने और तटीय विनियमन जोन, जिसमें उक्त अधिसूचना के अधीन कच्छ वनस्पतियां भी अन्तर्ग्रस्त हैं, पुल बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

और, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण ने तारीख 1 नवम्बर, 2017 को हुई अपनी 32वीं बैठक में इस पर भी विचार करने का विनिश्चय किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, द्वीप संरक्षण जोन अधिसूचना, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव करती है ;

और, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह राय देती है कि उक्त द्वीप संरक्षण जोन अधिसूचना, 2011 का संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन अधिसूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोक हित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्वीप संरक्षण अधिसूचना, 2011 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा III के मद घ में,-

(i) उपमद 1 में, (i) आईसीआरजेड-I के खंड (क) में, उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(vi) मिडिल स्ट्रेट सिन अंदमान पर 2-लेन के पुल के संनिर्माण की अनुमति एक अपवाद के रूप में दी जाएगी, परंतु संनिर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रभावित/काटे गए कच्छ वनस्पति क्षेत्र के न्यूनतम तीन गुणा का कच्छ वनस्पतियां, प्रतिकरात्मक पौधा रोपण क्षेत्र में कहीं अन्यत्र किया जाएगा।";

(ii) उपखंड 4 के आईसीआरजेड-IV में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) मिडिल स्ट्रेट पर 2-लेन के पुल के संनिर्माण की अनुमति एक अपवाद के रूप में दी जाएगी।";

(iii) उपमद 8 के स्थान पर, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) इस अधिसूचना के अन्तर्गत जिन परियोजना को स्वीकृति दी गई हों, ऐसी स्वीकृत जारी करने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी :

परंतु संनिर्माण क्रिया-कलाप, स्वीकृति जारी करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर आरम्भ होंगे और पूरे किए जाएंगे और प्रचालनों को ऐसी स्वीकृति जारी किए जाने की तारीख से प्रारम्भ किया जाएगा :

परंतु यह और कि विधिमान्यता को आवेदक द्वारा विधिमान्य अवधि के भीतर, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति की विधिमान्यता के विस्तारण के लिए सिफारिश के साथ सम्बद्ध प्राधिकरण को आवेदन किए जाने की दशा में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

8क. अनुज्ञेय क्रिया-कलाप के लिए कार्योत्तर स्वीकृति :-"

(i) सभी क्रिया-कलाप, जो इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय है, किन्तु जिनका संनिर्माण, स्वीकृति पूर्व प्रारम्भ हो गया है, को केवल ऐसे मामलों में नियमितीकरण के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन किया गया है और ऐसी परियोजनाओं को, जो इस अधिसूचना के उपबंध का उल्लंघनकारी है, नियमित नहीं किया जाएगा।

(ii) सम्बद्ध तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण, ऐसे प्रस्तावों के नियमितीकरण के लिए विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि ऐसी सिफारिशें करते समय द्वीप संरक्षण जोन विनियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(iii) ऐसे मामलों पर, जिसमें अपेक्षित स्वीकृति के बिना संनिर्माण प्रारम्भ किया गया है, केवल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा परंतु ऐसे नियमितीकरण के लिए अनुरोध उक्त मंत्रालय को 31 सितम्बर, 2018 तक प्राप्त हो जाता है"।

[फा. सं. 12-3/2008-आईए-III (भाग)]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नानुसार पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए :

1. का.आ. 2558(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
2. का.आ. 1213(अ), तारीख 22 मार्च, 2016 ; और
3. का.आ. 2445(अ), तारीख 31 जुलाई, 2017 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2018

S.O. 3840(E).—WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.20 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the Island Protection Zone Notification, 2011), the Central Government declared certain coastal stretches of the Middle Andaman, North Andaman, South Andaman and Greater Nicobar and entire area of the other islands of Andaman and Nicobar and the Lakshadweep and their water area upto territorial water limit as the Islands Protection Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

AND WHEREAS, the Central Government havereceived representations regarding extension of validity of clearance issued under notification, consideration forinclusion of enabling provision of post facto clearance and a proposal for allowing bridges in the Island Coastal Regulation Zone areainvolving mangroves under the said notification;

AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority in its 32nd meeting held on 1st November, 2017 had also decided to consider this;

AND WHEREAS, the Central Government taking into account the above, proposes to make the following amendments to the Islands Protection Zone Notification, 2011;

AND WHEREAS, the Central Government, having regard to the provisions of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said Islands Protection Zone Notification, 2011.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Islands Protection Zone Notification, 2011, namely:-

In the said notification, in paragraph III, in item D, -

(i) in sub-item 1.(i) ICRZ-I, in clause (a), after sub-clause (v), the following shall be inserted, namely:-

"(vi) construction of 2-Lane Bridge over Middle Strait sin Andaman shall be permitted as an exception, provided that a minimum of three times the mangrove area affected/ cut during the construction process shall be taken up for compensatory plantation of mangroveselsewhere in the region.";

(ii) in sub-item 4.In ICRZ-IV areas, after clause (c), the following shall be inserted, namely:-

"(d)construction of 2-Lane Bridge over Middle Strait shall be permitted as an exception.";

(iii) for sub-item 8, the following shall be substituted, namely:-

"(8) The clearance accorded to the projects under this notification shall be valid for aperiod of seven years from the date of issue of such clearance:

Provided that the construction activities shall commence within a period of five years from the date of the issue of clearance and the construction shall be completed and the operations be commenced within seven years from the date of issue of such clearance:

Provided further that the period of validity may be extended for a maximum period of three years in case an application ismade to the concerned authority by the applicant within the validity period, along with recommendation for extension of validity of the clearance by the concerned State or Union Territory Coastal Zone Management Authority.

8A. Post facto clearance for permissible activities. -

(i) All activities, which are otherwise permissible under the provisions of this notification, but have commenced construction without prior clearance, may be considered for regularisation only in such cases wherein the project applied for regularisation within the specified time and the projects which are in violation of the provisions of this notification may not be regularised.

(ii) The concerned Coastal Zone Management Authority shall give specific recommendations regarding regularisation of such proposals and shall certify that there have been no violations of the Islands Protection Zone regulations, while making such recommendations.

(iii) Cases where the construction have commenced without the requisite clearance, shall be considered only by Ministry of Environment, Forest and Climate Change,providedthat the request for such regularisation is received in the said Ministry by the 31st September, 2018".

[F. No. 12-3/2008-IA-III (Pt.)]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows: -

1. S.O. 2558(E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1213(E), dated the 22nd March, 2016; and
3. S.O. 2445(E), dated 31st July, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.09 12:06:32 +05'30'